R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

खण्ड IV ◆ अंक 3
सितंबर 2007

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

शहरी सहकारी बैंक

सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों में निवेश

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेशों में अधिक लचीलापन देने को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए है -

(i) सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेशों के लिए पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को शहरी सहकारी बैंक की कुल जमाराशियों के 10 प्रतिशत की सीमा जारी रहेगी।

(ii) निवेश एअथवा सममूल्य दर वाले वाणिज्यिक पत्र (सीपी), डिबेंचर और बॉड जो प्रतिदेय स्वरूप के है, तक सीमित होंगे। तथापि, बेमीयादी ऋण लिखतों में निवेश की अनुमति नहीं है।

(iii) गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश किसी भी समय कुल सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेशों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। जहाँ शहरी सहकारी बैंकों ने पहले से ही इस सीमा से अधिक निवेश किया हो उसे ऐसी प्रतिभूतियों में वृद्धिशील निवेश की अनुमति नहीं होगी।

(iv) ऋण म्युच्यूअल निधियों और मुद्रा बाजार म्यूच्यूअल निधियों को छोड़कर म्यूच्यूअल निधियों की यूनिटों में निवेश की अनुमति नहीं होगी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट में धारिता सहित ऋण म्युच्यूअल निधियों और मुद्रा बाजार म्यूच्यूअल निधियों को छोड़कर यूनिटों में वर्तमान धारिता को विनिवेशित किया जाना चाहिए। जब तक यह शहरी सहकारी बैंक की बहियों में धारित है तब तक इन्हें उपर्युक्त (i) की सीमा के प्रयोजन के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेशों के रूप में गिना जाएगा।

(v) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआइएफआइ) के शेयरों में नये निवेशों की भी अनुमति नहीं होगी। इन संस्थाओं में वर्तमान शेयर धारिता को चरणबद्ध रूप से हटाया जाएगा लेकिन जब तक वो बैंक की बहियों में धारित है उसे उपर्युक्त (i) की सीमा के प्रयोजन के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेशों के रूप में गिना जाएगा।

(vi) सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर श्रेणी के अंतर्गत सभी नये निवेशों को केवल *व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)/बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)* श्रेणियों में ही वर्गीकृत किया जाना चाहिए और जैसे कि इन श्रेणियों में निवेशों के लिए लागू है बाजार के लिए अंकित किया जाना चाहिए।

(vii) वाणिज्य बैंकों और अनुमत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पास जमा खातों में धारित शेष राशि और वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी जमाराशि प्रमाणपत्र (सीडी) में निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेशों के लिए निर्धारित कुल जमाराशियों के 10 प्रतिशत की सीमा से अतिरिक्त होगी।

(viii) अंतर बैंक जमाराशियों (समाशोधन, विप्रेषण आदि सहित सभी प्रयोजनों के लिए) के रूप में रखे निधियों की कुल राशि पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को शहरी सहकारी बैंक की माँग और मीयादी देयताओं (डीटीएल) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। माँग और मीयादी देयताओं के 10 प्रतिशत विवेकपूर्ण अंतर-बैंक निवेश सीमा सभी को शामिल करते हुए होगी और अंतर-बैंक माँग और सूचना मुद्रा तक सीमित नहीं होगी। तथापि, टीयर I शहरी सहकारी बैंक जो निवल माँग और मीयादी देयताओं के 10 प्रतिशत की विवेकपूर्ण सीमा से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में अपनी निवल माँग और मीयादी देयताओं के 15 प्रतिशत तक की जमाराशियाँ रखेगी उन्हें छूट दी गई है।

(ix) किसी एक बैंक में निवेश अपनी कुल सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेश और उसी बैंक में रखी जमाराशियों सहित पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को जमाकर्ता बैंक की माँग और मीयादी देयताएं 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। जमाराशियाँ, यदि कोई, ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) सुविधा, करेंसी तिजारी सुविधा और

विषय सूची

	पृष्ठ
शहरी सहकारी बैंक	
सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों में निवेश	1
कार्यालयों का स्थानांतरण	2
बैंकिंग	
अग्रिमों की निगरानी	2
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
शाखाओं का स्थानांतरण/विलयन पर अनुदेशों को आशोधित किया गया	2
अनुषंगी कार्यालयों का स्वयंपूर्ण शाखा में संपरिवर्तन	2
विस्तार पटल खोलना	3
फेमा	
भारतीय कंपनियों के अनिवासी भारतीय कर्मचारियों को रुपया ऋण	3
ग्राहक सेवा	
शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समितियां	3
बैंकों द्वारा उधारदाताओं को ऋण करार की प्रतिलिपि देना	3
सूचना	
बैंकिंग समूह में धारण कंपनियाँ	3

गैर-निधि आधारित सुविधाएं जैसे बैंक गारंटी (बीजी), साख-पत्र (एलसी) लने के लिए रखी गई है तो इस प्रयोजन के लिए एकल बैंक निवेश सीमा निर्धारित करने के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

(x) बैंकों के पास रखी गई जमाराशियाँ जिसके लिए उपर्युक्त (ix) पर विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गई है को छोड़कर उपर्युक्त जैसे सभी निवेशों पर निर्धारित विवेकपूर्ण एकल/समूह निवेश सीमाएं होंगी।

(xi) वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र को छोड़कर सभी निवेश कम-से-कम एक वर्ष की मूल परिपक्वता अवधि के साथ लिखतों में होनी चाहिए।

(xii) गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक जिसकी एकल शाखा-सह-प्रधान कार्यालय है अथवा एक ही ज़िले के भीतर एकाधिक शाखाएं है और जिसकी जमाराशि आधार 100 करोड़ रुपए या उससे कम है उसे भारतीय स्टेट बैंक और उसकी सहयोगी बैंकों और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड सहित सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पास ब्याज वाली जमाराशियों में अपेक्षित राशि रखने पर अपनी माँग और मीयादी देयताओं के 15 प्रतिशत तक निर्धारित आस्तियों में सांविधिक चलनिधि अनुपात रखने से छूट दी गई है। ऐसी जमाराशियाँ इन दिशानिर्देशों और उपर्युक्त (vii) में निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत शामिल नहीं की गई है।

शहरी सहकारी बैंकों को अपनी निवेश नीति की समीक्षा करने के लिए सूचित किया गया और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि वे अब अनुमत सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर लिखतों में किए जाने वाले निवेशों का स्वरूप और मात्रा, जोखिम मानदण्ड और धारण/अवधारण के लिए उच्चतम हानि सीमा उपलब्ध कराएं। शहरी सहकारी बैंकों को सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेशों में जोखिम को खोजने और विश्लेषण करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली तैयार करनी चाहिए और समय रहते उपचारात्मक उपाय करने चाहिए।

शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड ने छमाही अंतराल पर सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेशों के निम्नलिखित पहलुओं की समीक्षा करनी चाहिए -

- रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कुल कारोबार (निवेश/विनिवेश)
- सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेश के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन
- सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का अनुपालन
- जारीकर्ताओं/बैंक की बहियों में धारित निर्गम के अंतरण का दर निर्धारण और संविभाग गुणवत्ता के फलस्वरूप निवेशों के मूल्य में ह्रास
- सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर श्रेणी में अनर्जक निवेशों की सीमा और उसके लिए किया गया पर्याप्त प्रावधान।

शहरी सहकारी बैंकों को तुलन-पत्र के *खातों पर टिप्पणी* में सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेशों पर जारीकर्ता-वार ब्योरा और अनर्जक निवेशों का विवरण भी प्रकट करना चाहिए।

कार्यालयों का स्थानांतरण

रिज़र्व बैंक अब शहरी सहकारी बैंकों से प्राप्त अनुरोध पर उनको (यूनिट बैंकों के अलावा) उसी राज्य के भीतर उनके परिचालन क्षेत्र में, एक शहर से दूसरे शहर में शाखा का स्थान बदलने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति देगा -

- नया केंद्र एक समान आबादी या उससे कम आबादीवाला होना चाहिए, उदाहरण के लिए *घ* केंद्र की शाखा अन्य *घ* केंद्र में ही स्थानांतरित की जा सकती है।
- अल्प बैंकिंग सुविधावाले जिले में स्थित बैंक को अन्य केंद्र के अल्प बैंकिंग सुविधावाले जिले में ही स्थानांतरित किया जा सकता है।
- स्थानांतरण से बैंक को लागत तथा कारोबार की दृष्टि से लाभ होना चाहिए।

शहरी सहकारी बैंक इस संबंध में अपने आवेदन, उनका प्रधान कार्यालय जिस रिज़र्व बैंक के शहरी बैंक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आता है वहाँ कर सकते है।

बैंकिंग

अग्रिमों की निगरानी

रिज़र्व बैंक ने अपने पूर्व अनुदेशों को जारी रखते हुए बैंकों को सूचित किया है कि अग्रिमों की मंजूरी पश्चात निगरानी, जैसे बैंकों को प्रभारित उधारकर्ताओं की आस्तियों की नियमित निगरानी, सहायक यूनिटों का आवधिक दौरा, स्टॉक की लेखा-परीक्षा आदि, खासकर, उन खातों में जहाँ आस्तियाँ अनर्जक हो जाने के संकेत देते हो वहाँ सुरक्षा के कड़े उपाय किए जाए। इस प्रकार के मामलों में बैंक उधारकर्ताओं के गोदामों के सतत निरीक्षणों के जरिए अपनी निगरानी प्रणाली को मजबूत करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिक्री प्राप्तियाँ बैंक में उधारकर्ता के खातों के माध्यम से की जाती है तथा दृष्टिबंधक के स्थान पर स्टॉक के रूप में गिरवी के लिए आग्रह किया जाता है।

इसके अलावा यह भी सूचित किया कि नकदी ऋण तथा अन्य ऋण खातों में दृष्टिबंधक के अंतर्गत जब कभी यह पाया जाए कि स्टॉक बिक गया है लेकिन उससे हुई प्राप्तियाँ ऋण खाते में जमा नहीं की गई हैं तो इस प्रकार की कार्रवाई को सामान्य तौर पर धोखाधड़ी माना जाना चाहिए। ऐसे मामलों में बैंक शेष स्टॉक को सुरक्षित करने के लिए तात्कालिक कदम उठाएं तथा अन्य अनिवार्य कार्रवाई भी करें ताकि उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य में आगे और गिरावट को रोका जा सके।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

शाखाओं का स्थानांतरण/विलयन पर अनुदेशों को आशोधित किया गया

चूंकि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के प्रतिबंधित प्रावधानों को हटा दिया गया है रिज़र्व बैंक ने शाखाओं के स्थान परिवर्तन/विलयन से संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी अपने पूर्व अनुदेशों को आशोधित किया है। आशोधित अनुदेश निम्नानुसार है -

शाखाओं का स्थानांतरण

ग्रामीण केंद्रों में

रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन के बिना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्वयं ग्रामीण केंद्रों में शाखाओं का स्थानांतरण कर सकते हैं बशर्ते मौजूदा प्रस्तावित दोनों केंद्र एक ही ब्लॉक के भीतर हों तथा पुनर्स्थापित शाखा गांवों की बैंकिंग आवश्यकताओं को मौजूदा शाखा की तरह पूरा कर सकती है।

अर्ध-शहरी केंद्रों में

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अर्ध-शहरी केंद्रों में अपनी शाखाओं को उसी इलाके/नगरपालिका वार्ड के भीतर स्थानांतरित कर सकते हैं। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शाखा/शाखाओं के स्थानांतरण से वह इलाका/वार्ड बैंक रहित न हो जाएं।

हानि वाली शाखाओं का विलयन

जहाँ किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की हानि वाली दो शाखाएं एक दूसरे से काफी कम दूरी पर हो (अर्थात् लगभग 5 कि.मी. की दूरी पर), वहाँ स्थानिक विस्तार को युक्तियुक्त बनाने और स्थापना/परिचालन लागत को कम करने के उद्देश्य से वे दोनों शाखाओं के विलयन पर विचार कर सकते हैं।

अनुषंगी कार्यालयों का स्वयंपूर्ण शाखा में संपरिवर्तन

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर अधिकार प्राप्त समिति की सहमति प्राप्त कर लेने के बाद अपने अनुषंगी कार्यालयों को स्वयंपूर्ण शाखा में संपरिवर्तित करने की अनुमति दी गई है। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से आवश्यक लाइसेंस भी प्राप्त करना होगा।

विस्तार पटल खोलना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अब पूजा स्थलों और बाजारों के स्थानों पर विस्तार पटल खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे मामलों में प्रधान बैंकर होने की शर्त लागू नहीं होगी। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

फेमा

भारतीय कंपनियों के अनिवासी भारतीय कर्मचारियों को रुपया ऋण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I को अनुमति दी गई है कि वे अब कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (इएसओपी) के तहत कंपनियों के शेयर अधिगृहीत करने हेतु भारतीय कंपनियों के अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) कर्मचारियों को रुपया ऋण दे सकते हैं। ऋण योजना बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होनी चाहिए तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

(क) ऋण राशि प्रति अनिवासी भारतीय कर्मचारी, शेयरों के खरीद मूल्य के 90 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपए, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) ऐसे ऋणों पर ब्याज की दर और मार्जिन का निर्धारण समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अधीन बैंकों द्वारा किया जाएगा।

(ग) राशि का भुगतान कंपनी को सीधे किया जाना चाहिए तथा भारत में उधारकर्ता के अनिवासी खाते में जमा नहीं किया जाना चाहिए।

(घ) उधारकर्ता, आवक प्रेषणों अथवा अपने एनआरओ/एनआरई/एफसीएनआर (बी) खाते में नामे डालकर ऋण राशि की चुकौती की जानी चाहिए।

(ङ) पूंजी बाजार निवेश की गणना के लिए ऋण को शामिल किया जाएगा तथा बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि पूंजी बाजार के ऐसे निवेश के लिए समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन किया जाता है।

ग्राहक सेवा

शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समितियां

शाखा स्तर पर बैंक तथा ग्राहकों के बीच संप्रेषण के एक औपचारिक माध्यम को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे अपने ग्राहकों को अपनी शाखा स्तरीय समितियों में शामिल करें। इसके अलावा, चूंकि वरिष्ठ नागरिक बैंकों में सामान्यतः एक महत्त्वपूर्ण घटक होते हैं, इसलिए एक वरिष्ठ नागरिक को भी उसमें शामिल किया जाए।

शाखा स्तरीय समितियों को ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति को सुझाव देते हुए तिमाही रिपोर्टें देनी चाहिए ताकि स्थायी समिति उनकी जांच कर सके और अपेक्षित नीति/प्रक्रियात्मक कार्रवाई के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को प्रासंगिक प्रतिक्रिया दे सके। शिकायतें /सुझाव, विलंब के मामले, ग्राहकों /समिति के सदस्यों को होनेवाली / रिपोर्ट की गयी कठिनाइयों का अध्ययन करने तथा ग्राहक सेवा को सुधारने के उपाय विकसित करने के लिए कम-से-कम महीने में एक बार शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समिति की बैठक आयोजित की जानी चाहिए।

बैंकों द्वारा उधारदाताओं को ऋण करार की प्रतिलिपि देना

रिज़र्व बैंक ने मई 2003 के अपने पूर्व अनुदेशों को दोहराते हुए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया कि ऋण की मंजूरी/वितरण के समय सभी उधारकर्ताओं को ऋण करार की तथा ऋण करार में उल्लिखित सभी अनुलग्नकों की एक-एक प्रतिलिपि अनिवार्यतः देनी चाहिए।

सूचना

बैंकिंग समूह में धारण कंपनियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 अगस्त 2007 को बैंकिंग समूह में धारण कंपनियों पर एक चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र जो आम जनता के अभिमत के लिए 7 अक्तूबर 2007 तक खुला है का सारांश नीचे दिया गया है :

भारत में बैंक धारण कंपनियों/वित्तीय धारण कंपनियों के लिए प्रमुख प्रोत्साहन

भारत में वर्तमान अनुदेशों के अनुसार सहायक कंपनियों सहित वित्तीय सेवा कंपनियों में बैंकों का सकल निवेश बैंक की चुकता पूँजी और आरक्षित निधि के 20 प्रतिशत तक सीमित है। किसी बैंक धारण कंपनी/वित्तीय धारण कंपनी संरचना में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा क्योंकि सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों में निवेश सीधे बैंक धारण कंपनियों/वित्तीय धारण कंपनियों द्वारा किया जाएगा। एक बार जब सहायक कंपनियाँ बैंकों से अलग की जाती हैं सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों के विकास को पूँजी के कारण बाधित नहीं किया जाएगा।

किसी बैंक धारण कंपनी/वित्तीय धारण कंपनी के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सरकारी धारिता वर्तमान विधियों के अंतर्गत संभव नहीं होगी। तथापि, यदि विधियों का संशोधन प्रभावी धारिता की गणना के लिए किया जाता है तो बैंक धारण कंपनी/वित्तीय धारण कंपनी नमूने में बदलाव का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लाभ यह होगा कि बैंकों की सहायक कंपनियों की पूँजीगत अपेक्षाओं को बैंकों की पूँजी से अलग हो जाएगा।

चूँकि बैंकिंग समूह के भीतर गैर-बैंकिंग संस्थाएं सीधे बैंक धारण कंपनी द्वारा स्वाधिकृत होंगी बैंकों के लिए सहबद्ध कंपनियों के कारण महत्त्व और ख्याति जोखिम वर्तमान की तुलना में कम घातक माना जाएगा।

मध्यवर्ती धारण कंपनियों में कंपनियों के साथ वित्तीय समूह

मध्यवर्ती धारण कंपनी नमूने का उपयोग मुख्यतः भारी करवाले क्षेत्र में मध्यवर्ती धारण कंपनियों की स्थापना के द्वारा कर का लाभ उठाने के लिए बहुदेशीय कंपनियों द्वारा किया जाता है। मध्यवर्ती धारण कंपनियों का उपयोग विनियामक अभिनिर्णय के लिए भी किया जाता है।

चिंताएँ

सामान्य चिंताएँ

- सरकारी तथा वित्तीय क्षेत्र नियंत्रक सर्वदा विशेष प्रयोजन संस्थाओं और मध्यवर्ती धारण कंपनियों के एक जाल के माध्यम से कंपनी संरचना के बहुस्तरीय होने के प्रति चिंतित रहे हैं। विशेषतः बैंक पर्यवेक्षकों ने प्रभावी पर्यवेक्षण में उन्हें एक अवरोध के रूप में देखा है। नियंत्रकों की यह समस्या और जटिल हो जाती है यदि मध्यवर्ती कंपनियाँ उनके नियंत्रण क्षेत्र में नहीं आती हैं।
- वित्तीय समूह विशेष रूप से समूह जो विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में निगमित मध्यवर्ती धारण कंपनियों के साथ बहुस्तरीय कंपनियों को शामिल करते हुए स्वयं को विस्तार देना चाहते हैं, सर्वदा चिंतित रहते हैं क्योंकि वे कई प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। शीर्ष धारण कंपनी अपचयी सहायक कंपनियों पर पकड़ खोना शुरू कर देती है। नियंत्रक, प्रणाली रूप से विस्तृत वित्तीय संकटों को रोकने के लिए सामान्य उपायों से बाहर जाकर वित्तीय सुरक्षा जाल को चलनिधि सहायता देने के लिए बाध्य

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

हो जाते हैं। इससे बाजार सहभागियों में यह भावना उत्पन्न होती है कि जब किसी संस्था को कोई संकट उत्पन्न होता है जो *बहुत बड़ा और असफल होने वाला नहीं है,* तो नियंत्रक उन परिस्थितियों जो संकट उत्पन्न करती हैं पर ध्यान दिए बिना, बचाव में सामने आते हैं। ऐसी अवधाराणाएँ इस तथ्य कि जटिल वित्तीय संस्थाएं भी कमजोर आंतरिक नियंत्रण, लचीलेपन के अभाव और खराब समेकन की समस्याओं का शिकार होती हैं, के साथ मिलकर अंतत: कमजोर विनियामक और पर्यवेक्षी नियंत्रण के रूप में प्रकट होती हैं। वस्तुत: यह नियंत्रकों के लिए बहुस्तरीय जटिल संरचनाओं से उत्पन्न संभावित दूसरे क्रम के प्रभावों के पर्यवेक्षण और आकलन के लिए चुनौतीपूर्ण तथा असाध्य हो जाता है।

- कंपनी संरचना का बहुस्तरीय होना निवेशकों की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं हैं क्योंकि वस्तुत: वे नही जानते कि उनके द्वारा निवेश किए गए धन का कहाँ उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार उनके निवेशों में शामिल सही जोखिमों का आकलन करना उनके लिए कठिन हो जाता है।

- जबकि धारण कंपनियों के माध्यम से विविध प्रकार की तेजी के प्रभाव को समेकन के माध्यम से प्रभावी ढंग से समाप्त किया जा सकता है, चुनौतीभरा यह मुद्दा अपचयी सहबद्ध कंपनियों द्वारा *अत्यधिक वित्त सहायता* होगा यदि मध्यवर्ती धारण कंपनी अपनी पूँजी लिखतों की आर्हता नहीं रखते हुए ऋण जारी करती है लेकिन ईक्विटी अथवा विनियामक पूँजी के अन्य तत्वों के रूप में किसी आश्रित कंपनी को आय अंतरित करती है। अत्यधिक वित्तीय सहायता विनियमित संस्था के लिए विवेकपूर्ण जोखिम पैदा कर सकती है यदि किसी विनियमित संस्था पर उस ऋण को प्रदान करने में मूल कंपनी के दायित्व से उत्पन्न अनुचित दबाव दिया जाता है। इसी प्रकार की समस्या वहाँ उत्पन्न हो सकती है जहाँ कोई मूल कंपनी एक ही गुणवत्ता के पूँजी लिखतों (उदाहरणार्थ, टीयर II पूँजी लिखतों) को जारी करती है और उन्हें उच्चतर गुणवत्ता के लिखतों के रूप में (टीयर I पूँजी लिखतों) संबद्ध कंपनियों को जारी करती है।

- विनियामक बोझ को बढ़ाने के अलावा ऐसी संरचनाओं को अनुमति देनेवाले विधिक ढाँचे के अधिकार क्षेत्र विशेषत: दिवालियापन/पुनर्निर्माण कानूनों/प्रक्रियाओं, लेखांकन और लेखा परीक्षा व्यवसाय की सामर्थ को उपयुक्त ढंग से उन्नत बनाया जाए।

- सैद्धांतिक रूप से बैंक सहायक कंपनी नमूने पर संगठित किसी समूह के भीतर मध्यवर्ती धारण कंपनी को शामिल करनेवाली संरचना सहायक कंपनियों के पूँजी भार से बैंक का पूर्णत: बचाव नहीं करेगी।

भारत विशिष्ट चिंताएँ

- यदि मध्यवर्ती धारण कंपनी केवल समूह कंपनियों में अपने शेयरों के निवेश तक सीमित रहती है और कोई वित्तीय गतिविधि संचालित नहीं करती है जैसा कि अधिकांश अवसरों पर ऐसा संभावित है, तो इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकरण की अपेक्षा नहीं होगी और इस प्रकार वह भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग की विनियामक संवीक्षा के अंतर्गत नहीं आएगी। किसी अविनियमित मध्यवर्ती धारण कंपनी की उपस्थिति बैंकिंग समूह के पर्यवेक्षण के बारे में चिंता उत्पन्न करेगी।

- किसी बैंक सहायक कंपनी समूह नमूने में जिसका अनुसरण वर्तमान में भारत में किया जा रहा है, मध्यवर्ती धारण कंपनियाँ विशेषकर मूल बैंक से संयुक्त होनेवाली गैर-बैंकिंग सहायक कंपनियाँ/संबद्ध कंपनियाँ विशिष्ट कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकती हैं। जबकि बैंक वित्तीय सेवा कंपनियों में निवेश पर वर्तमान में 20 प्रतिशत की विनियामक सीमा से दूर रह सकता है, बैंक समूह के अतिविस्तारण और समरूप ख्याति जोखिम में वृद्धि के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक चिंता जारी रहेगी। ये चिंताएँ पुन: जटिल हो सकती हैं यदि धारण कंपनी अविनियमित है जैसा कि वर्तमान विनियमन के अंतर्गत संभावित है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक को मध्यवर्ती धारण कंपनी से महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने और ऐसी किसी मध्यवर्ती धारण कंपनी के लिए अपेक्षित कोई विवेकपूर्ण व्यवहार लागू करने में भी कठिनाई होती है। वास्तव में विनियामक चिंताएँ उस स्थिति में भी संगत होंगी जब किसी अविनियमित मध्यवर्ती धारण कंपनी को किसी बैंक धारण कंपनी/वित्तीय धारण कंपनी नमूने में शामिल किया जाता है।

- बीमा कंपनियों जैसी कुछ सहायक कंपनियों में विदेशी धारिता पर कानूनी प्रतिबंध के कारण दूसरी संभावित जटिलता उत्पन्न हो सकती है। बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विदेशी धारिता 26 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। तथापि, जब भारतीय प्रवर्तक कंपनी कोई बैंकिंग कंपनी हो तो ऐसी बैंकिंग कंपनी में विदेशी धारिता के अनुपात पर बीमा विनियामक विकास प्राधिकार विनियमावली के विनियम 11(1)(जी)(iii) की दृष्टि से भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी धारिता की 26 प्रतिशत की उच्चतम सीमा का ध्यान नहीं रखा जाएगा। मध्यवर्ती धारण कंपनी संरचना में बीमा कंपनी मध्यवर्ती धारण कंपनी की एक सहायक कंपनी होगी जो बदले में बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी होगी जिसे उपर्युक्त छूट की अनुमति नहीं होगी। यद्यपि, यह संबंधित नियंत्रक के अधिकार के भीतर होगा कि वह मध्यवर्ती धारण कंपनी संरचना के पक्ष में निर्णय दे तो भी यह कानूनी समीक्षा के लिए खुली रहेगी।

वित्तीय धारण कंपनी/बैंक धारण कंपनी संरचना रखने में उस सीमा तक काफी लाभ हैं जहाँ तक बैंक अपने गैर बैंकिंग वित्तीय सहायक कंपनियों की गतिविधियों से संभावित प्रतिकूल प्रभावों से अच्छी प्रकार सुरक्षित हों। वास्तव में यह विचार करना भी संभव हो सकता है कि वित्तीय धारण कंपनी/बैंक धारण कंपनी संरचना के अंतर्गत गैर बैंकिंग सहायक कंपनियों को जोखिम भरी गतिविधियाँ शुरू करने की अनुमति दी जाए जिसकी अनुमति बैंक सहायक कंपनियों को पण्य दलाली जैसी गतिविधि के लिए अभी तक नहीं दी गई है।

यह उपयोगी होगा कि किसी बैंक धारण कंपनी/वित्तीय धारण कंपनी नमूने को अंगीकृत करने की संभावना का पता लगाया जाए। तथापि, ऐसी संरचनाओं को परिचालित करने के पहले एक कानूनी संरचना के सृजन की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित किया जाए कि संरचना के भीतर कोई अविनियमित संस्था शामिल नहीं है। यह भी उपयोगी होगा कि बैंक धारण कंपनी/वित्तीय धारण कंपनी नमूने के साथ-साथ न्यूनतम स्तर तक वित्तीय समूहन के बैंक सहायक कंपनी नमूने में भी जटिलता को रोक रखा जाए। इस ओर यह वांछनीय होगा कि मध्यवर्ती धारण कंपनी संरचनाओं से बचा जाए।

अभिमत/सुझाव r_kumar@rbi.org.in को भेजे जा सकते हैं।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**